विभाग बताएं अब तक कितना बजट खर्च किया

- वित्त विभाग ने सभी विभागों को भेजा पत्र
- वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिए मांगा पूरा ब्यौरा

कन्हैया लोधी

भोपाल, 8 जनवरी. मप्र में वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये बजट पेश करने की तैयारियों का सिलसिला लगातार तेज होता जा रहा है. इसी क्रम में वित्त मंत्री के बजट भाषण के लिये भी विभागों से जानकारी का पूरा ब्यौरा मांगा गया है.

विभागों को ये बताना पड़ेगा कि उन्हें मौजूदा वित्तीय वर्ष में कितना बजट मिला है और अब तक उन्हें कितनी राशि खर्च कर दी है. इसी आधार पर ये तय होगा कि उन्हें नये वित्तीय वर्ष में कितना बजट मिल सकेगा. वित्त विभाग ने कुल 8 बिंदुओं पर विभागों से जानकारी मांगी है और उन्हें जानकारी देने के लिये 15 जनवरी तक का समय दिया गया है. लिहाजा विभागों में जानकारी के लिये माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है. पत्र के मुताबिक विभागों को ये भी बताना होगा कि उनके विभाग की महत्वपूर्ण योजनाएं कौन सी है और उनमें कितना लक्ष्य हासिल किया गया है या फिर अब तक की उपलब्धि क्या रही है. हितग्राहीमूलक योजनाओं में अब तक कितनो को फायदा दिलाया गया है, उसका भी पूरा ब्यौरा देना होगा. विभागों में केंद्र प्रवर्तित योजना और केंद्रीय क्षेत्रीय योजना की ताजा स्थिति की जानकारी भी देना होगा. इसी तरह नए योजनाओं के बारे में संक्षिप्त और सारगर्भित जानकारी भी मांगी गई है.

कितना रोजगार सृजन किया, कितनों को सरकारी नौकरी दी, ये भी बताना होगा

विभागों को ये भी बताना होगा कि उन्होंने मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले वर्ष की अवधि में रोजगार सृजन के लिये क्या काम किया? कितनों को विभागों में सरकारी नौकरी दी, उनका वेतनमान क्या है? इसकी जानकारी पदवार, श्रेणीवार देना होगा. इसी तरह प्रवासी श्रमिको के कल्याण, थर्ड जेंडर, निराश्रित एवं बेघर अजा, अजा, ओबीसी व अल्पसंख्यक कल्याण के कामों के साथ ही विकसित भारत 2047 के लिये किये गये प्रयासों की भी जानकारी मांगी गई है.

शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटा कि नहीं

वित्त विभाग ने विभागों को जो पत्र भेजा है, उसमें ऐसे सभी विषयों के बारे में जानकारी मांगी गई है, जो कि बजट भाषण तैयार करने के लिहाज से महत्वपूर्ण है. इस जानकारी के आधार पर ही नये वित्तीय वर्ष के लिए बजट भाषण तैयार किया जाएगा और इसमें सरकार उपलब्धियों का जिक्र करेगी. पत्र के मुताबिक संबंधित विभाग को ये भी बताना पड़ेगा कि शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त करने के लिये उन्होंने अब तक क्या किया है. इसी तरह पर्यावरण, वन, जमीन और जल स्त्रोतों का बेहतर प्रबंधन व संरक्षण के साथ ही नवीन और नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में विभागों के कामकाज का ब्यौरा मांगा गया है. इसी क्रम में राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल गौ-वंश संवर्धन और संरक्षण, गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिये उठाये गये कदम के साथ ही सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करने के लिये उठाये गये कदमों के बारे में भी वित्त को बताना होगा. इसी तरह जन स्वास्थ्य, कुटीर और ग्रामोद्योग के विकास एवं संरक्षण के लिये किये गये कामों, औद्योगिक नीति व निवेश प्रोत्साहन, ऐतिहासिक व धार्मिक महत्व के धरोहरों व पर्यटन स्थलों के संरक्षण, संवर्धन, ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये अब तक किये गये कामों का ब्यौरा भी संबंधित विभागों को देना होगा. वहीं लोगों की सुविधा के लिये विज्ञान एवं तकनीकी का प्रयोग, सुगम ग्रामीण परिवहन, ई-परिवहन, झुग्गी मुक्त मप्र के लिये अब तक किये गये कामों की जानकारी भी देना होगा.

गांव में बाघिन पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत

शिवपुरी. मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित माधव टाइगर रिजर्व की एक बाघिन के रिजर्व सीमा से सटे गांव में पहुंचने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल बन गया है. सूत्रों के अनुसार बाघिन ग्राम खुटेला में देखी गई, जिससे ग्रामीणों में भय व्याप्त हो गया. सूचना मिलते ही लोग घरों में सिमट गए और खेतों की ओर जाने से बचने लगे. बताया जा रहा है कि इसी बाघिन ने दो दिन पहले ग्राम सुरवाया में एक गाय पर हमला कर उसे मार दिया था. इस घटना के बाद से आसपास के गांवों में पहले से ही सतर्कता बनी हुई थी. माधव राष्ट्रीय उद्यान के अधिकारियों ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी है. वन विभाग की टीम द्वारा बाघिन की लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है.

ग्वालियर में दो दिन रहेगी स्कूलों की छुट्टी

प्रदेश में शीतलहर व कोहरे का प्रभाव

भोपाल, 8 जनवरी. पिछले 24 घंटों के दौरान मध्यप्रदेश के सभी संभागों के जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क बना रहा. हालांकि ठंड के असर के चलते कई जिलों में शीत लहर, शीत दिन और कोहरे की स्थिति दर्ज की गई. शहडोल एवं छतरपुर (खजुराहो) जिलों में शीत लहर का प्रभाव रहा.

कई जिलों के शासकीय और अशासकीय स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिए गए हैं। इसी बीच ग्वालियर में 9 और 10 जनवरी नर्सरी से लेकर कक्षा पांचवी तक के बच्चों के लिए स्थानीय अवकाश घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही कक्षा छठवीं से लेकर कक्षा बाहरवीं तक के लिए स्कूलों का समय 10.30 से 3 बजे तक निर्धारित किया गया है। कलेक्टर रुचिका चौहान के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी ने यह आदेश जारी किया है। वहीं रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी और दतिया जिलों में शीतल दिन की स्थिति बनी रही, जबकि छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव क्षेत्रों में तीव्र शीतल दिन दर्ज किया गया. पिछले 24 घंटों में अधिकतम तापमान में भी गिरावट देखी गई.

> न्यूनतम तापमान की बात करें तो नर्मदापुरम संभाग के जिलों में न्यूनतम तापमान में 2.2 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि दर्ज की गई. अन्य संभागों में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ. रीवा और सागर संभागों के जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 से 2.3 डिग्री सेल्सियस तक कम रहा, जबकि बाकी जिलों में यह सामान्य बना रहा. मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पंजाब एवं आसपास के क्षेत्रों के ऊपर माध्य समुद्र तल से लगभग 3.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऊपरी हवा के चक्रवातीय परिसंचरण के रूप में सक्रिय है.

एनएच-39 के फुटपाथ पर कब्जों पर सख्ती

देवसर बाजार में प्रशासन का पैदल मार्च, तहसीलदार व टीआई की चेतावनी

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 8 जनवरी। नेशनल हाईवे सीधी-सिंगरौली 39 के फुटपाथों पर बढ़ते अतिक्रमण को लेकर प्रशासन एक बार फिर सख्त नजर आया।

देवसर बाजार को अतिक्रमण मुक्त कराने के उद्देश्य से आज दिन गुरूवार को तहसीलदार एवं थाना प्रभारी टीआई देवसर ने पुलिस बल के साथ पैदल मार्च किया और कब्जाधारियों को सख्त हिदायत दी। प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक मार्ग और फुटपाथ पर किसी भी प्रकार का अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पैदल मार्च के दौरान अधिकारियों ने दुकानदारों एवं ठेला-गुमटी संचालकों को स्वयं अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी। बताया गया कि पूर्व में भी कई बार समझाइस दी जा चुकी है, इसके बावजूद फुटपाथों पर कब्जे बने हुए हैं, जिससे यातायात बाधित हो रहा है और आमजन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तहसीलदार ने कहा कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान थाना प्रभारी देवसर सहित अन्य पुलिस अधिकारी एवं जवान मौजूद रहे। प्रशासन की इस कार्रवाई से बाजार क्षेत्र में हड़कंप की स्थिति बनी रही।

रेत की चोरी करते पुलिस ने टिपर वाहन को किया जब्त

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 8 जनवरी। जियावन पुलिस ने सहुआर मोड़ पर गुरूवार की अल सुबह रेत से भरे एक टिपर वाहन को जप्त कर अपराध पंजीबद्ध किया है। जप्त रेत की कीमत 15 हजार रूपये आकी गई है।

जानकारी के अनुसार एसडीओपी देवसर गायत्री तिवारी के मार्गदर्शन में तथा थाना प्रभारी डीएसपी रोशनी कुर्मी एवं थाना के स्टाफ द्वारा आज दिन गुरूवार को मुखबिर की सूचना पर चन्दुआर के सहुआर रेड की कार्यवाही करते हुये के टिपर वाहन को जप्त कर चालक आरोपी तेरसलाल उर्फ मुखिया रावत पिता हीरालाल रावत उम्र 30 वर्ष निवासी केरवा के विरूद्ध धारा 303(2) 317(5) बीएनएस एवं 4/21 खनिज अधिनियम का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त कार्रवाई में थाना प्रभारी डीएसपी प्रशिक्षु रोशनी कुर्मी, उनि. शेषनारायण दुबे, सउनि तेजबहादुर सिंह, प्रआर सुरेश सोनी, आशीष द्विवेदी, आर बबलु यादव, खुम सिंह, सदन कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

हत्था में दो मेडिकल स्टोरों को तहसीलदार ने किया सील

तहसीलदार के निरीक्षण में पहुंचते ही मेडिकल स्टोरों में मची हडकंप,कई मेडिकल स्टोरों का शटर बंद कर भागे संचालक

नवभारत न्यूज

सीधी / बघवार 8 जनवरी, जिले के रामपुर नैकिन थाना अंतर्गत ग्राम हत्था में तहसीलदार के पहुंचते ही मेडिकल स्टोर संचालकों में हडकंप मच गया। तहसीलदार के आते ही कई मेडिकल स्टोरों के शटर धड़ाधड़ गिरने लगे और कुछ संचालक मौके से भाग खड़े हुए।

इस संयुक्त छापामार कार्रवाई में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर राजा मेडिकल स्टोर सहित एक अन्य बिना नाम पंजीयन वाली मेडिकल स्टोर को सील कर दिया गया। यह कार्रवाई तहसीलदार रामपुर नैकिन आशीष मिश्रा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा की गई। टीम में मेडिकल ऑफिसर डॉ. सज्जन सिंह, उप निरीक्षक एमएल रावत, फार्मासिस्ट राम प्रकाश तिवारी, अमरीश शर्मा एवं पटवारी सचेंद्र पाण्डेय शामिल रहे। जांच के दौरान राजा मेडिकल स्टोर में बड़ी मात्रा में अमानक और एक्सपायरी डेट की दवाइयां पाई गईं। इसके साथ ही कई ऐसी प्रतिबंधित दवाएं भी मिलीं, जिनका विक्रय नियमों के अनुसार किया जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। जांच में यह भी सामने आया कि छोटे बच्चों को बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाइयां दी जा रही थीं, जो सीधे तौर पर उनके स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। टीम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को कड़ी समझाइश दी और तत्पश्चात राजा मेडिकल स्टोर को तत्काल प्रभाव से सील कर दिया। इसके अलावा एक अन्य मेडिकल दुकान जिस पर न तो दुकान का नाम लिखा था और न ही कोई वैध पंजीयन संबंधी जानकारी प्रदर्शित थीए वहां भी गंभीर अनियमितताएं पाई गईं। उक्त दुकान को भी नियमों के उल्लंघन के चलते सील किया गया। कार्रवाई के दौरान दो-तीन अन्य मेडिकल स्टोरों के संचालक प्रशासनिक टीम को देखकर अपने-अपने शटर बंद कर फरार हो गए। टीम द्वारा संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन फोन कॉल का भी कोई जवाब नहीं मिला।

> **इनका कहना है**
>
> लंबे समय से प्रतिबंधित दवाओं की बिक्री और बच्चों को बिना पर्ची दवा देने की शिकायतें मिल रही थीं। एसडीएम शैलेश द्विवेदी के निर्देश पर गठित टीम ने सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की है। आगे भी इसी तरह लगातार अभियान चलाया जाएगा और आमजन के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
>
> **आशीष मिश्रा, तहसीलदार रामपुर नैकिन**

अजजा के मझरे टोलों में स्वास्थ्य शिविर लगाएं : अंतर सिंह

जन जातिय क्षेत्र में विद्युतीकरण के साथ सड़क एवं पेयजल हमारी प्राथमिकता है

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 8 जनवरी। राष्ट्रीय अनुसूचित जन जाति आयोग नई दिल्ली के अध्यक्षता में एवं कलेक्टर गौरव बैनल, एसपी मनीष खत्री, वन मण्डल अधिकारी अखिल बंसल, जिपं सीईओ जगदीश गोमे के उपस्थिति में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

बैठक के प्रारंभ में आयोग के अध्यक्ष का स्वागत करते हुयें कलेक्टर के द्वारा जिले की भौगोलिक स्थिति के साथ-साथ जिले के प्रशासनिक ईकाई जिले में संचालित कोल एवं पावर परियोजनाओ के साथ-साथ जिले में आदिवासी जन संख्या प्रतिशत 2011 जनगणना के अनुसार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों से अवगत कराया गया। वही जन जाति कार्य विभाग में स्वीकृत एवं भरे हुयें रिक्त पदो की जानकारी भी दी गई।

बैठक में संबंधित विभाग के अधिकारी ने शिष्य वृत्ति भुगतान के संबंध में जानकारी दी। बैठक के दौरान म.प्र. अनुसूचित जाति, जन जाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम 2016 दिनाक 1 जनवरी 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक प्राप्त प्रकरणो के निराकरण की स्थिति एवं दी जाने वाले राहत राशि के संबंध में अवगत कराया गया। बैठक के दौरान जिले में परम्परागत वन निवासी वन अधिकार के तहत पात्र हितग्राहियों को दिए गए लाभ के संबंध में भी अवगत कराया गया तथा पीएम जन मन अंतर्गत हितग्राही मूलक योजनाओं के तहत किए गए विकास कार्यो के संबंध में विस्तार पूर्वक अवगत कराया गया। बैठक के दौरान जन जातियो में सिकल सेल एनेमिया के रोकथाम के संबंध में आयोग के अध्यक्ष के द्वारा निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय के साथ आदिवासी मझरे टोलो में शिविर का आयोजन कर बिमारी से पीड़ित व्यक्तियों को चिन्हांकन किया जाये। बैठक के दौरान जिला अधिकारी मौजूद रहे।

होटल एंड रेस्टॉरेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मेगा ट्रेड फेयर 10 जनवरी से

- 100 से ज्यादा एक्जीबिटर्स होंगे शामिल, 500 से अधिक होटल व्यवसायी होंगे शामिल

नवभारत न्यूज

सतना 8 जनवरी, होटल एंड रेस्टॉरेंट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा मेगा ट्रेड फेयर 2.0- 2026 का आयोजन होटल रॉयल ऑर्बिट में 10, 11, 12 एवं 13 जनवरी को किया गया है। जहां होटल इंडस्ट्री से जुड़े तमाम लोग एक ही छत के नीचे जुटेंगे। फेयर में क्रॉकरी, कटलरी, फर्नीचर, आर्किटेक्ट, सर्विसेज, बैडशीट्स, वॉटर सप्लायर्स, इलेक्ट्रिफिकेशन एक्सपर्ट, सोलर कंपनियां, इंटीरियर डिजाइनिंग एक्सपर्ट से जुड़े व्यवसायी रहेंगे। एसोसिएशन के सदस्यों ने बताया कि फेयर में कुल 100 से ज्यादा एक्जीबिटर्स हैं, वहीं आसपास के करीब 500 से अधिक होटल व्यवसायी इसमें शामिल होंगे। एसोसिएशन के अध्यक्ष वसंत घोड़ावत, सचिव तनप्रीत सिंह छाबड़ा, ट्रेजरार विनीत गोकलानी, सह सचिव उपनीत छाबड़ा, इवेंट चेयर पर्सन संदीप विजन, वरिष्ठ सदस्यों कमल ग्रोवर, अमित जसूजा, नितिन चंडोक, संजय जैन आदि ने सहभागिता की अपील की है। मटर महोत्सव भी होगा खास- सचिव तनप्रीत सिंह छाबड़ा ने बताया कि जिला प्रशासन के सहयोग से फेयर के साथ ही एक जिला, एक उत्पाद के अंतर्गत मटर महोत्सव का 11 जनवरी को आयोजन किया जाएगा। महोत्सव में होटलों के साथ गृहिणियों की सहभागिता भी रहेगी। कॉम्पिटीशन में 25 होटल सहभागिता करेंगे।

कार्यालय नगर पालिक निगम रीवा, जिला- रीवा (म.प्र.)

// निविदा सूचना //

क्रमांक- 888/ई-टेंडर/न.पा.नि./2025 रीवा, दिनांक 07.01.2026, निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑनलाईन निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर क्रमांक एवं जारी दिनांक तथा NIT क्रमांक / दिनांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि एवं लागत	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	2026_UAD_473939_1 07.01.2026 (First Call) 888/07.01.2026	EXECUTION OF CIVIL, ARCHITECTURAL, FACADE LIGHTING AND BEAUTIFICATION WORKS OF ENTRY GATE AT CHORHATA BYPASS IN MUNICIPAL CORPORATION REWA (M.P.)	02 माह रु. 31.335. लाख	रु. 5000.00 रु. 23,502 .00	09.02. 2026 18.0 बजे तक ।

नोट- निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://mptenders.gov.in की वेबसाइट पर ही किया जायेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, रीवा (म.प्र.)

जाहिर आम सूचना

सर्व साधारण व्यक्ति/संस्था/निकाय को इस सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है ग्राम-चुरहट, तहसील-चुरहट, जिला-सीधी (म.प्र.) में स्थित भूमि सर्वे no.550-0.036 हेक्टेयर, 551-0.045 हेक्टेयर, 552-0.069 हेक्टेयर पर श्री तीरथ (1/12), छकौड़ी (1/12), रामायण (1/12), मुन्नी (1/12), कांति (1/12) पुत्र/पुत्री दही दर्जी व आयोध्या मुन्नी, केशकलिया, उर्मिला, विद्या पुत्र/पुत्री बरमदीन दर्जी (प्रत्येक 1/60 शेयर) और रनिया W/O दीनदयाल दर्जी, तेजभान, श्यामवती, सूर्यवती पुत्री दीनदयाल दर्जी (प्रत्येक 1/8) का स्वत्व दर्ज था। इसी अधिकार के तहत एक भू स्वामी श्री तीरथ नामदेव ने भूमि सर्वे नंबर 550 में हिस्सा-0.003 हेक्टेयर, 551 में हिस्सा-0.00375 हेक्टेयर, 552 में हिस्सा-0.00575 हेक्टेयर, कुल क्षेत्रफल 03 किता = 0.0125 हेक्टेयर, का दान विलेख बेटे श्री गुलाबचंद नामदेव के पक्ष में निष्पादित किया है, जिस पर एक स्थायी आवासीय मकान बना हुआ है। उक्त विलेख उप-पंजीयक ऑफिस सीधी में निष्पादित किया गयाएजिसका पंजीयन क्रमांक **MP31IGR18692025A101194989,** dated-26/12/2025 था। इस सार्वजनिक सूचना के माध्यम से सूचित किया जाता है की उक्त विलेख के संबंध मे जिस किसी व्यक्ति/संस्था/संगठन/आमजन को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो सूचना प्रकाशन के 5 दिवस के अंदर मेरे पक्षकार के कार्यालय PNBHL शाखा-सीधी (मो.6261335380) या मेरे कार्यालय चेम्बर no.103A, जिला-न्यायालय, सीधी-जिला-सीधी (म.प्र.) मो.9179636101 में कार्यालयीन समय 10 बजे से 5 बजे के मध्य लिखित/मौखिक व दूरभाष से दस्तावेजो सहित अपना पक्ष व आपत्ति प्रस्तुत करे। तय समय पश्चात किसी भी व्यक्ति/संस्था निकाय द्वारा की गई आपत्ति मान्य नही होगी और मेरा पक्षकार PNBHL उक्त विक्रय विलेख को पाक साफ मानते हुये बंधक कर ऋण स्वीकृत करेगा।

स्थान-SIDHI दिनांक -09/01/2026

भवदीय
सुजीत सिंह एडवोकेट
चेम्बर न.103A जिला न्यायालय सीधी
जिला सीधी (म.प्र.)
मो.9179636101

गहिलगढ़ पश्चिम में एसआईआर अभियान की समीक्षा

- बूथ 208 पर मतदाता सूची सुधार पर जोर, विधायक रामनिवास शाह की विशेष उपस्थिति में कार्यकर्ताओं को दिए गए दिशा-निर्देश

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 8 जनवरी। शक्ति केंद्र 37 गहिलगढ़ पश्चिम अंतर्गत बूथ क्रमांक 208 पर शनिवार को विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर अभियान के तहत फॉर्म 6, 7 एवं 8 से संबंधित समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का उद्देश्य मतदाता सूची को पूर्णतः त्रुटिरहित बनाना, पात्र नागरिकों का नाम समय पर मतदाता सूची में दर्ज कराना तथा नव मतदाताओं को जागरूक कर लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जोड़ना रहा।

बैठक में सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती का आधार सटीक और पारदर्शी मतदाता सूची है। प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए और किसी भी प्रकार की त्रुटि या अपवर्जन लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करता है। विधायक ने कार्यकर्ताओं से घर-घर संपर्क कर नए मतदाताओं, विशेषकर युवाओं, महिलाओं और पहली बार मतदान करने वाले नागरिकों को प्रेरित करने का आह्वान किया। बैठक के दौरान फॉर्म 6 के माध्यम से नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, फॉर्म 7 से अपात्र या मृत मतदाताओं के नाम हटाने तथा फॉर्म 8 द्वारा त्रुटियों के सुधार पर विस्तार से चर्चा की गई। सभी कार्यकर्ताओं को समयबद्ध एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

इस अवसर पर ननि अध्यक्ष देवेश पांडेय, जिला महामंत्री विक्रम सिंह चंदेल, मंडल विंध्यनगर अध्यक्ष नीरज पांडेय, पार्षद बाबू नंदन सहित बड़ी संख्या में पार्टी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक में सभी ने एसआईआर अभियान को सफल बनाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाने का संकल्प लिया है।

कार्यालय नगर पालिक निगम सतना (म0प्र0)

N.I.T क्र. 32(E.T.)/निर्माण/ न.पा.नि./ 2025-26 सतना, दिनांक 06.01.2026

// निविदा सूचना //

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पंजीकृत ठेकेदारों से ऑन लाईन निविदायें आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण बेवसाईट https://www.mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	निविदा क्र. व जारी दिनांक	टेण्डर क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य की समयावधि लागत एवं	निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं EMD	निविदा की अंतिम तिथि
1	32/01 06.01.2026	2026_UAD _473610_1	सी.सी. रोड निर्माण अमित मिश्रा से दीपक चतुर्वेदी के घर तक वार्ड क्रमांक 32	03 माह 11,32,272/-	2,000/- 22,700/-	07.02.2026 17.30
2	32/02 06.01.2026	2026_UAD _473631_1	नाली / पुलिया निर्माण विभिन्न स्थानों में टपारिया बस्ती, वार्ड क्रमांक 12 (तृतीय काल)	04 माह 26,05,470/-	5,000/- 50,000/-	
03	32/03 06.01.2026	2026_UAD _473634_1	सी.सी. रोड निर्माण संकठा द्विवेदी के घर से अयप्पा मंदिर तक वार्ड क्रमांक 13 (द्वितीय काल)	03 माह 6,25,735/-	2,000/- 12,600/-	23.01.2026 17.30
04	32/04 06.01.2026	2026_UAD _473655_1	व्यवसायिक नल कनेक्शनों में वाटर मीटर स्थापित करने का कार्य निगम एरिया (PHED SOR Dated 01.09.2023) तृतीय काल	01 माह 4,14,720/-	2,000/- 8,300/-	

नोट:-1. निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाईन https://www.mptenders.gov.in की वेवसाईड पर ही किया जावेगा, पृथक से समाचार पत्र में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

कार्यपालन यंत्री
नगर पालिक निगम, सतना (म. प्र.)

"स्वच्छ सतना - लक्ष्य अपना"

CENTRUM Home Loans
Aao milkar ghar banaye

कॉर्पोरेट और पंजीकृत कार्यालय: यूनिट नंबर 801, सेंट्रम हाउस, सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, कलिना सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400098, सीआईएन नंबर U65922MH2016PLC273826

डिमांड नोटिस

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ की धारा १३(२) के अंतर्गत प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ (१) के साथ पठित

अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, २००२ (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं. उक्त अधिनियम की धारा १३ (१२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, २००२ के नियम ३ के साथ पठित, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा १३ (२) के अंतर्गत मांग नोटिस जारी किया है, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ताओं (उक्त उधारकर्ता) से राशि वापस करने का आह्वान किया गया है. उपरोक्त के संबंध में, एक बार फिर, उक्त उधारकर्ता को इस नोटिस के प्रकाशन से ६० दिनों के भीतर सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को नीचे दर्शाई गई राशि का भुगतान करने के लिए नोटिस दिया जाता है, साथ ही उक्त डिमांड नोटिस में विस्तृत रूप से देय राशि के पूर्ण पुनर्भुगतान की तारीख तक ब्याज और अन्य शुल्क भी देना होगा. नीचे उल्लिखित तारीखों से लेकर भुगतान और / या वसूली की तारीख तक, उक्त उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों / लिखित दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ पठित ऋण समझौते के तहत देय ऋण की देय चुकौती के लिए सुरक्षा के रूप में, निम्नलिखित परिसंपत्तियों को क्रमशः उधारकर्ताओं द्वारा सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को गिरवी रखा गया है

स. क्रं.	ऋण खाता संख्या/उधारकर्ता (ओं)/सह-उधारकर्ता (ओं)/ गारंटर (ओं) का नाम	कुल बकाया राशि (रु.)	एनपीए दिनांक / सेक. 13(2) नोटिस दिनांक / एफसीएल दिनांक	सुरक्षित संपत्ति का विवरण (अचल संपत्ति)
1	JLRSA22009050 / बिनित सिंह / आशा सिंह / विपिन सिंह	रू. 8,16,904.00/- (आठ लाख सोलह हजार नौ सौ चार मात्र)	04-12-2025 31-12-2025 27-12-2025	अचल संपत्ति के अधिकार, टुकड़े और पार्सल में ख. क्रमांक 523/17/2, प्रशा. 1620 वर्गफीट, वार्ड क्रमांक 03, मौजा-नामतारा, नगर पंचायत नागौद, पटवारी हल्का नागोद, तह. नागोद, जिला. सतना-485001, मध्य प्रदेश। सीमाएँ:- पूर्वः मुख्यालय धर्मेन्द्र सिंह पश्चिम : रामसखी सोनी का प्लॉट, उत्तर : 12 फीट रोड, दक्षिण : प्लॉट तिवारी एवं पति केसरी सिंह

यदि उक्त उधारकर्ता सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को पूर्वोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित परिसंपत्तियों के खिलाफ कार्यवाही करेगा, जो पूरी तरह से लागत और परिणामों के रूप में उक्त उधारकर्ताओं के जोखिम पर होगी। उक्त उधारकर्ताओं को अधिनियम के तहत सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना बिक्री, पट्टे या अन्यथा के माध्यम से उपरोक्त परिसंपत्तियों को स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित किया गया है। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन करने के लिए उकसाता है, वह अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

स्थान: मध्यप्रदेश, दिनांक : 09.01.2026

एसडी/- सेंट्रम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के लिए अधिकृत अधिकारी